

ईरान और पाकिस्तान के जरिए समझौते की कोशिश; हूतियों से कब्जे वाले इलाके लौटाने की शर्त

हूती विद्रोहियों से हमले रुकवाने के लिए सऊदी अरब देगा 1 अरब डॉलर!

तेहरान/रियाद, एजेंसी: सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं। इजराइली समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब हूती विद्रोहियों को हमले रोकने के बदले एक अरब डॉलर देने पर सहमत हुआ है। हालांकि, यह जानकारी रिपोर्ट पर आधारित है। इस प्रस्ताव की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान सोमवार को बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे। इस दौरान ईरान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बातचीत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्किये की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान भी शामिल हुए। सऊदी अरब की



शर्त है कि हूती विद्रोही पहले उन क्षेत्रों को यमन की सरकार को लौटाएं, जिन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। सऊदी अरब इस सरकार का समर्थन करता है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी किसी सैन्य दबाव में नया युद्धविराम समझौता करने के पक्ष में नहीं है।

हूती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब के तेल ठिकानों और हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा है। बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास उनकी मौजूदगी से तेल निर्यात भी प्रभावित हुआ है। इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर

दबाव बढ़ा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की एक वजह तीन साल पहले हुआ समझौता भी है। इसके तहत सऊदी अरब को हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक

सहायता देनी थी। बदले में हूतियों से युद्धविराम बनाए रखने और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपेक्षा थी। हूतियों का आरोप है कि सऊदी ने इस सहमति का पालन नहीं किया। सऊदी अरब वर्ष 2015 से हूती विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल रहा है, लेकिन हूती अब भी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। उनके सस्ते ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए सऊदी की महंगी अवरोधक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यमन का पहाड़ी भूभाग भी सैन्य कार्रवाई को कठिन बनाता है। हवाई हमलों से ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना आसान नहीं है। बड़े जमीनी अभियान में सैनिकों के हताहत होने और संघर्ष लंबा खिंचने का खतरा बना रहता है।

दिल्ली की हवा सबसे अधिक प्रदूषित, एक् यूआई 197 दर्ज

► चेन्नई में 143 सूचकांक दर्ज, मुंबई और कोलकाता की हवा अपेक्षाकृत साफ



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के प्रमुख महानगरों में वायु प्रदूषण की स्थिति अलग-अलग बनी हुई है। सोमवार और मंगलवार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 197 दर्ज किया गया, जो चार बड़े शहरों में सबसे अधिक है। चेन्नई में यह सूचकांक 143 रहा, जबकि मुंबई और कोलकाता में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा में प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। इसके माध्यम से यह समझने में मदद मिलती है कि हवा सांस लेने के लिए कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है। सूचकांक जितना अधिक होता है, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही ज्यादा माना जाता है।

दिल्ली में 197 का सूचकांक मध्यम श्रेणी में आता है। इस स्तर पर सामान्य लोगों को बहुत अधिक परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों, बच्चों और बुजुर्गों

को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चेन्नई में 143 का सूचकांक भी मध्यम श्रेणी में आता है। यहां भी संवेदनशील लोगों को प्रदूषण के प्रभाव से बचने के लिए सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। दिल्ली की तुलना में चेन्नई की वायु गुणवत्ता बेहतर दर्ज की गई, लेकिन प्रदूषण का स्तर पूरी तरह सामान्य नहीं कहा जा सकता। मुंबई और कोलकाता में हवा की स्थिति इन दोनों शहरों की

तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर बताई गई है। हालांकि, इन शहरों में प्रदूषण का वास्तविक स्तर समझने के लिए संबंधित समय के वायु गुणवत्ता आंकड़ों को देखना जरूरी है। महानगरों में वायु प्रदूषण पर मौसम, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और औद्योगिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ सकता है। वायु गुणवत्ता में बदलाव दिन और स्थान के अनुसार भी होता है। लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां तय करने में मदद मिलती है।

यात्री के फोन में मिला विमान अपहरण का संदेश, उड़ान लौटी

► लास वेगास जा रहे विमान में संदिग्ध संदेश देखकर परिचारिका ने अधिकारियों को दी सूचना, यात्री गिरफ्तार



लास वेगास, एजेंसी: अमेरिका में लास वेगास जा रहे संयुक्त विमान सेवा के एक विमान को यात्री के मोबाइल फोन में अपहरण से जुड़ा संदिग्ध संदेश मिलने के बाद वापस लौटाना पड़ा। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए संबंधित यात्री को गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान संख्या 1681 लास वेगास के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान विमान की एक परिचारिका ने यात्री के मोबाइल फोन में अपहरण से संबंधित संदेश देखा। संदेश की गंभीरता को देखते हुए उसने विमान के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतते हुए विमान को वापस लौटाने का निर्णय लिया गया। विमान के लौटने के बाद

सुरक्षा अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। विमान में मौजूद यात्रियों के बीच इस घटना के बाद चिंता का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। विमानन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अपहरण संबंधी धमकी को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे मामलों में यात्रियों और विमान के

चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इस घटना में भी संदिग्ध संदेश सामने आने के बाद विमान को आगे की यात्रा जारी रखने के बजाय वापस लाने का फैसला किया गया। यात्री के फोन में मिले संदेश की प्रकृति और उसके पीछे की मंशा की जांच की जा रही है।

एसिड बिक्री पर दिशा-निर्देशों के बावजूद हमले क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

केंद्र और राज्यों को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर दिया जोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि बिक्री पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद ऐसे अपराध हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नियमों के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों में एसिड की बिक्री से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए। साथ ही, एसिड के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी हलफनामे के माध्यम से दे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि एसिड आज भी बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। पीठ ने कहा कि केंद्र



सरकार यह मानकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती कि दिशा-निर्देश जारी करने के बाद उनका पालन कराना राज्यों का काम है। अदालत ने पूछा कि क्या केंद्र ने किसी राज्य से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि दिशा-

निर्देशों के बावजूद एसिड हमलों की घटनाएं कैसे हो रही हैं। अदालत ने गिराणी करने वाली संस्थाओं के अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि केवल सहानुभूति जताने वाली भाषा में परिपत्र जारी

करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि घटनाएं जारी हैं, तो यह नीति की गंभीर विफलता को दर्शाता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने अदालत को बताया कि एसिड की खुदरा बिक्री

पर नियंत्रण के लिए राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए थे। राज्यों ने नियम भी बनाए हैं, लेकिन उनका पालन कमजोर है। इस पर अदालत ने कहा कि दिशा-निर्देशों में मौजूद कमियों का गलत लाभ उठाया जा रहा है। केंद्र और राज्यों को आपसी समन्वय से इन कमियों को दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी एसिड हमलों के मामलों में वृद्धि पर चिंता जता चुका है। अदालत ने ऐसे अपराधों में सजा बढ़ाने पर विचार करने और आरोपी पर अपनी जिम्मेदारी साबित कराने की जिम्मेदारी डालने का सुझाव दिया था। यह मामला एसिड हमले की पीड़िता शाहीन मलिक की जनहित याचिका पर चला है। अदालत ने इस मामले में सजा बढ़ाने के दौरान एसिड हमलों के पीड़ितों की दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करने की मांग की है।

चुनाव आयोग ने आईएस अभय सिंह को पर्यवेक्षक पद से हटाया

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊ: चुनाव आयोग ने फैजाबाद-गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभय सिंह को पद से हटा दिया है। उनकी जगह प्रकाश बिंदु को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामले में की गई है।

अभय सिंह को निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों पर निगरानी रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। चुनाव पर्यवेक्षक का काम निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखना, नियमों के पालन की समीक्षा करना और किसी भी शिकायत की स्थिति में आयोग को जानकारी देना होता है। आयोग के निर्णय के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी बदल दी गई है। प्रकाश बिंदु अब चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। आयोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए अधिकारियों की भूमिका पर नजर रखता है तथा आवश्यक होने पर प्रशासनिक बदलाव भी करता है। फैजाबाद-गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव उत्तर प्रदेश की निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। इस क्षेत्र से संबंधित चुनावी गतिविधियों और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अभय सिंह को हटाने के पीछे की विस्तृत वजह और कार्रवाई से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

किताब आएगी तो चर्चा और विवाद होंगे, अब मेरी बारी: सोनिया गांधी

► आत्मकथा 'बिलॉगिंग्स: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को होगी प्रकाशित, निजी जीवन के अनुभवों पर रखेंगी अपनी बात



से लेकर भारत आने, राजीव गांधी से विवाह और फिर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक के कई पड़ावों से जुड़ा रहा है। उनके जीवन और राजनीतिक सफर को लेकर लंबे समय से लोगों की दिलचस्पी रही है। आत्मकथा के प्रकाशन के साथ उनके निजी जीवन और अनुभवों को लेकर नई चर्चाएं होने की संभावना है। सोनिया गांधी की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि वह पुस्तक को लेकर उठने वाले सवालों और प्रतिक्रियाओं से परिचित हैं। पुस्तक 10 नवंबर को पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। इसके प्रकाशन के बाद सोनिया गांधी के जीवन और उनके अनुभवों को लेकर सार्वजनिक चर्चा बढ़ने की उम्मीद है।

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉगिंग्स: ए जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को बाजार में आने वाली है। पुस्तक के प्रकाशन से पहले उन्होंने कहा कि किताब सामने आएगी तो चर्चा और विवाद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, 'किताब आएगी तो तमाशा होगा ही, अब बारी मेरी है।' सोनिया गांधी की इस टिप्पणी को उनकी आत्मकथा के प्रकाशन से जोड़कर देखा जा रहा है। पुस्तक में उनके जीवन के अनुभवों और निजी यात्रा से जुड़े प्रसंगों को स्थान दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक प्रेम, संबंधों और जीवन के अनुभवों की ओर संकेत करता है। सोनिया गांधी लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनका जीवन इटली में शुरूआती वर्षों

अभिनेता इमरान खान के भारत छोड़ने के मामले में सुनवाई टली



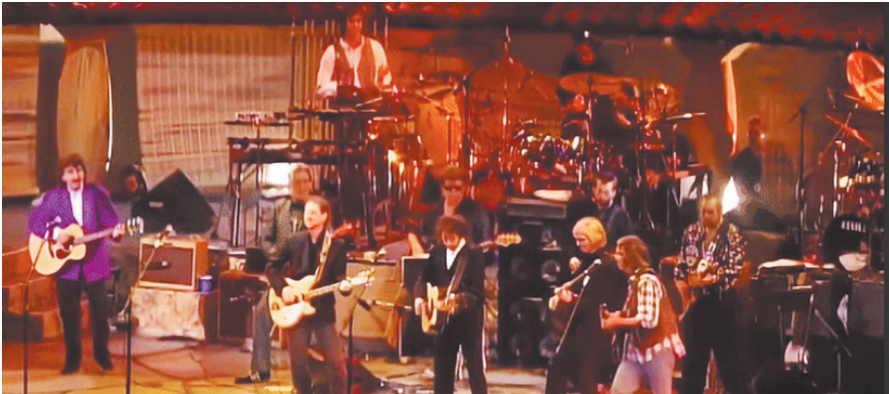
सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी। इमरान खान ने अपने विरुद्ध जारी भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। नोटिस के अनुसार, उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था। अभिनेता की याचिका में इस निर्देश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि दो नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी।

अनुसार, उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था। अभिनेता की याचिका में इस निर्देश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि दो नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी।

खास-खबर

बिना अनुमति चुनावी सभा में गाना बजाने का आरोप, मांगे 95 करोड़ रुपये...

नील यंग ने ट्रंप की चुनावी समिति पर किया मुकदमा



कि इस गीत के इस्तेमाल के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने समिति को इसके लिए कोई अनुज्ञा नहीं दी थी और न ही

देने की इच्छा जताई थी। यह इस मामले में यंग की दूसरी कानूनी कार्रवाई है। उन्होंने वर्ष 2020 में भी ट्रंप के खिलाफ इसी गीत के

कथित अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर मुकदमा किया था। वह मामला समझौते के जरिए सुलझ लिया गया था। नए मुकदमे में

आरोप लगाया गया है कि ट्रंप की समिति ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से गीत बजाया। मुकदमे में कहा गया है कि वर्ष 1989 में जारी यह गीत अमेरिकी राजनीति के खोखले वादों और गरीब, बेघर तथा उपेक्षित लोगों की कठिन जिंदगी के बीच का अंतर उजागर करता है। यंग के अनुसार, गीत का संदेश ट्रंप की राजनीतिक छवि और विचारों के विपरीत है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति को पता था कि गायक ने गीत के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। नील यंग लंबे समय से ट्रंप के आलोचक रहे हैं। उन्होंने अपने

संगीत के माध्यम से राजनीति, युद्ध और सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई है। यंग का जन्म 12 नवंबर 1945 को टोरंटो में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में संगीत जगत में कदम रखा। बेफेलो सिंगफ्रील्ड समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने एकल संगीत यात्रा शुरू की। 'आपस्ट द गोल्ड रश' और 'हार्वेस्ट' जैसे उनके संगीत संग्रह चर्चित रहे। उन्होंने क्रेजी हॉर्स तथा क्रॉस्बी, स्टिल्स, नैश एंड यंग के साथ भी काम किया। उन्हें ग्रैमी और जूनो पुरस्कार मिले हैं। 1995 में उन्हें एकल कलाकार के रूप में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।

